न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), रायबरेली।

UPRB010040742026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1754/2026

अनुज कुमार सरोज उर्फ अनुज रावत आयु लगभग 22 वर्ष पुत्र तुलसीराम, निवासी ग्राम बछवल खुर्द, थाना डीह, जिला रायबरेली।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..विपक्षी/अभियोगी।

एवं

UPRB010039882026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1714/2026

अभिषेक उम्र 20 साल पुत्र मनीलाल, निवासी ग्राम पूरे धनऊ मजरे खेतौधन, थाना डीह, जिला रायबरेली।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..विपक्षी/अभियोगी।

एवं

UPRB010036742026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1551/2026

सन्तोष निर्मल पुत्र राधेश्याम उम्र लगभग 20 साल, निवासी ग्राम पूरे धनऊ मजरे खेतौधन, थाना डीह, जिला रायबरेली।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..विपक्षी/अभियोगी।

एवं

UPRB010037522026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1579/2026

प्रयागराज साहू उर्फ गोली साहू उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र सत्यनरायन साहू, निवासी ग्राम बोहरहिया मजरे सराय मानिक, थाना डीह, जिला रायबरेली।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..विपक्षी/अभियोगी।

एवं

UPRB010037532026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1580/2026

अरविन्द प्रजापति उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्र सालिकराम, निवासी ग्राम बोहरहिया मजरे सराय मानिक, थाना डीह, जिला रायबरेली।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..विपक्षी/अभियोगी।

एवं

UPRB010037642026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1591/2026

अक्षत मिश्रा उम्र 19 वर्ष पुत्र अखिलेश मिश्रा निवासी पूरब नायन, थाना डीह, जिला रायबरेली।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..विपक्षी/अभियोगी।

एवं

UPRB010037732026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1596/2026

सूरज कोरी आयु 20 वर्ष पुत्र द्वारिका कोरी, निवासी डीह, थाना डीह, जिला रायबरेली।

...प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..विपक्षी/अभियोगी।

24.06.2026

उपरोक्त सभी जमानत प्रार्थना पत्र एक ही अपराध संख्या से सम्बन्धित हैं, अतः सुविधा के दृष्टिकोण से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। मूल जमानत आदेश जमानत प्रार्थना पत्र संख्या

1754/2026, अनुज कुमार सरोज उर्फ अनुज रावत बनाम उ०प्र०राज्य में पारित किया जा रहा है। आदेश की एक–एक प्रति शेष जमानत प्रार्थना पत्र पर रखी जाए।

आवेदक/अभियुक्तगण **अनुज कुमार सरोज उर्फ अनुज रावत, अभिषेक, सन्तोष निर्मल, प्रयागराज साहू उर्फ गोली साहू, अरविन्द प्रजापति, अक्षत मिश्रा एवं सूरज कोरी** की ओर से अपराध सं०–**72/2026**, धारा–**310(2), 311, 317(3), 3(4) भा०न्या०सं०,** थाना **डीह,** जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जो दर्ज होकर अन्तरित होने के उपरान्त निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त कराये गये हैं।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी शिवलाल, राजलाल पुत्र स्व० रतीपाल निवासी– कस्बा व थाना डीह, रायबरेली के मूल निवासी है। प्रार्थीगण इकोटोन कम्पनी में चौकीदार के पद पर कार्यरत है। जिसका गोदाम पूरे मचकुरियन मजरे डीह में स्थित है। दिनांक–05.05.2026 की रात समय करीब 02:00 बजे प्रार्थीगण चौकीदारी कर रहे थे तभी करीब 08–10 लोग गोदाम पर आये और हम दोनों भाईयों को लोहे की राड से मारने लगे उनमें से दो लोगों ने हम दोनों ऊपर तबंचा सटा दिया एवं हमारे मोबाईल फोन और गोदाम पर रखे पीतल की टोटियां बोरी में भरकर जबरदस्ती भरकर लूट ले गये, मारपीट कारण हम दोनों भाईयों के सिर पर काफी चोटे आई। लूटे गये मोबाइल का नं० 7525803088 व 8354027955 है।

आवेदक–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, गांव की पार्टीबंदी के कारण पुलिस से सांठ–गाठकर उन्हें झूठे तथ्यों के आधार पर गलत फंसा दिया गया है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलंब से राय मशविरा के आधार पर पंजीकृत करायी गयी है विलंब का कोई समुचित स्पष्टीकरण नही दिया गया है। प्रार्थी/अभि० ने कथित दिनांक व समय पर किसी प्रकार की कोई घटना कारित नही किया है कथित घटना से प्रार्थी/अभि० का कोई वास्ता व सरोकार नही है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी जनता का नही है जो यह साबित कर सके कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त घटना कारित की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण न तो मौके पर पकड़े गये हैं और न ही प्रार्थी/अभियुक्तगण के पास से किसी प्रकार की सम्बन्धित कोई बरामदगी हुई है। प्रार्थी/अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध हैं। प्रार्थीगण जमानते देने को तैयार है उसका वह दुरूपयोग नही करेंगे। इन परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा लाठी, डंडा व अन्य खतरनाक आयुध का प्रयोग करते हुए डकैती की घटना कारित की गई है। उनकी घटना में पूर्णरूप संलिप्तता पायी गयी है। उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

उल्लेखनीय है कि अभियोजनपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की मूल केसडायरी प्रस्तुत न करके मात्र केसडायरी की प्रिंटेड प्रति प्रस्तुत की गई है। वादीगण शिवलाल व राजलाल द्वारा प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात लोगों के द्वारा उन्हें लोहे की राड से मार–पीटकर तमंचा दिखाकर पीतल की टोटियों की लूट–पाट किये जाने के सम्बन्ध में अंकित कराई गई है। केसडायरी सं०–2 पर अंकित नकल फर्द बरामदगी में दिनांक 05.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर डीह कस्बा से फुर्सतगंज की ओर जा रहे वाहन फोर्ड फीगो नं०–

UP33S7253 में प्रस्तुत प्रकरण में हुई लूट के सामान के साथ आवेदक/अभियुक्तगण अक्षत मिश्रा, सन्तोष निर्मल, अभिषेक व अरविन्द प्रजापति को पकड़े जाने का उल्लेख किया गया है तथा पकड़े गये अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान उनके द्वारा बताये गये सहअभियुक्त सूरज कोरी, मन्दीप कोरी, प्रयागराज साहू उर्फ गोली को प्रकरण में नामित किया जाना बताया गया है। उल्लेखनीय है कि कथित गिरफ्तारी एवं बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी सन्दर्भित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण गिरफ्तार होकर जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध हैं। सी.डी. सं०–1 पर वादी/मजरूब शिवलाल को आई चोट सं०–3, 4, 6 व 7 को साधारण प्रकृति की होने एवं चोट सं०–1, 2 व 5 हेतु आर्थो सर्जन व रेडियोलाजिस्ट की राय लिये जाने का उल्लेख किया गया है, चोटों के सम्बन्ध में रेडियोलाजिस्ट की कोई भी आख्या केसडायरी में उपलब्ध नहीं है। केसडायरी में मजरूब राजलाल को आई चोटें साधारण प्रकृति की होने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते है। आवेदक/अभियुक्तगण **अनुज कुमार सरोज उर्फ अनुज रावत, अभिषेक, सन्तोष निर्मल, प्रयागराज साहू उर्फ गोली साहू, अरविन्द प्रजापति, अक्षत मिश्रा एवं सूरज कोरी** को अपराध संख्या–72/2026, धारा–310(2), 311, 317(3), 3(4) **भा०न्या०सं०,** थाना **डीह,** जिला **रायबरेली** के मामले में, उनके द्वारा पचास–पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो–दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्तगण दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नही करेगें।

2– यह कि आवेदक–अभियुक्तगण इस आशय का वचन दाखिल करेगें कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगें और यदि अभियुक्तगण के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगन को वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि आवेदक–अभियुक्तगण प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगें।

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।
II. आरोप गठित होने की तिथि में।
III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक/अभियुक्तगण की अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझ कर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(श्रीमती प्रतिमा)
जे.ओ. कोड–UP02637
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
रायबरेली।

Digitally signed by PRATIMA TIWARI
Date: 2026.06.27 12:58:05 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court, Raebareli